105/16

[illegible]

वकील करीम व उप0 वादी श्री मिश्रा व श्री सुरजीत सिंह एडवो0 ने याचिका का पैरा किया प्रावली वास्ते प्रतिवाद पत्र O.R. 10 C.P.C. के जवाब हेतु दिनांक 4/12/19 को पेश हो।

[illegible]

प्रावली पेश हुई। वकील करीम व उप0 वादी चरण सिंह स्वयं उप0 वादी ने अंकित किया कि वह वाद पत्र चलाना नहीं चाहता है व वकील वादी ने वाद पत्र को Note Press किया।

वाद पत्र Note Press के आधार पर खारिज किया जाता है। प्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

वादपत्र चलाना नहीं चाहता (वादी)

चरण सिंह

Not press